AS-20 / II / 06

101

58 152 / 13/3/06

न्यायालय श्रीमान ... मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
==========================

COURT FEE 5 Rs. पांच रुपये FIVE RUPEES — COURT FEE 10 दस रुपये TEN RUPEES

अपील प्रकरण क्रमांक...
========================

कमि...

1 MAR 2006

रीवा कमिश्नर, रीवा (म० प्र०)

152 / 13/3/06

ओंकार सिंह तनय श्री ईश्वरजन सिंह, गहरवार, उम्र- 52 वर्ष, निवासी-झलवार, थाना व तहसील- रामपुर नैकिन, जिला- सीधी (म0प्र0)

--- अपीलार्थी
आवेदक

बनाम :

1. भुअरी बेवा पत्नी रामजियावन साहू,
2. गोपी पिता टिर्रा साहू,
3. बसन्ती पुत्री टिर्रा साहू,
4. सुकवरिया पुत्री टिर्रा साहू,
5. रामसुमिरन पिता छोटेलाल पटेल,

समस्त निवासी-ग्राम झलवार, थाना व तहसील- रामपुर नैकिन, जिला- सीधी (म0प्र0)

----- रेस्पाडेन्टगण
अनावेदक

क्रमांक........
... द्वारा आज 13/3/06 को प्राप्त
... कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Presented by Shri ... (signature)
Advocate/Applicant 1-3-2006

Reader

(signature) 1/3/06
Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा जो प्रकरण क्रमांक 495/अपील/2001-2002 में दिनांक- 3.2.2006 को पारित किया गया है।

निगरानी
~~अपील~~ अन्तर्गत धारा ~~44(2)~~ 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959 ई0।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50

commissioner के आदेश दिनांक 30-11-06 के अनुसार संशोधित
30-11-06

मान्यवर,

अपील के तथ्य
==========

रेस्पाडेन्ट क्रमांक 1 ने ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन, जिला- सीधी के आराजी खसरा क्र0 111, 116, 118, 117 एवं 417 में कब्जा दर्ज किये जाने का आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार रामपुर नैकिन के यहाँ प्रस्तुत किया। उक्त भूमियों में आराजी ख0क्र0-111 रकबा 0.16 हे0 अपीलार्थी की है ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 520–दो/06 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 495/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2006 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि अनावेदक क्र0 1 ने ग्राम झलवार तह0 रामपुर नैकिन, जिला–सीधी स्थित विवादित भूमि आराजी खसरा क्र0 111, 116, 118, 117 एवं 417 में कब्जा दर्ज किये जाने का आवेदन तहसीलदार रामपुर नैकिन के यहॉ प्रस्तुत किया गया । उक्त विवादित भूमियों में आराजी खसरा क्र0 111 रकबा 0.16 है0 अपीलार्थी की है व शेष भूमियों पर अनावेदक क्र0 2 ता 5 के भूमिस्वामित्व की है । तहसीलदार रामपुर ने अपीलार्थी कीक विधिवत सुनवाई किये बिना ही दिनंक 28.05.01 को उक्त आराजियातों में अनावेदक क्र0 1 का कब्जा इन्द्राज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थी ओंकार सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट जिला–सीधी के यहॉ अपील प्रस्तुत किया गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 21.03.2002 को	

आदेश पारित कर तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक मानते हुये निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया, जिस पर अपर आयुक्त रीवा ने तहसीलदार रामपुर नैकिन के द्वारा पारित आदेश का परिशीलन कर आदेश में कोई अनियमितताओं का परिलक्षित न होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के आदेश को निरस्त करते हुये दिनांक 03.02.2006 को आदेश पारित कर अनावेदक की अपील स्वीकार कर ली। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विचारण न्यायालय ने आराजी खरा क्र0 111 में अनावेदक क्र0 1 का नाम इन्द्राज करने के पूर्व न तो कोई मौके की जांच कराई और न ही अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया । अनावेदक क्र0 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो कब्जा दर्ज किये जाने का आवेदन पेश किया, उसमें कई भूमिस्वामियों की भूमियों पर कब्जा दर्ज किये जाने का एक ही आवेदन पत्र पेश किया गया, जबकि हर भूमिस्वामियों के संबंध में पृथक–पृथक से आवेदन पेश करना चाहिये था । उक्त तथ्या की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ही नहीं दिया और आदेश पारित कर दिया । उनके द्वारा तर्क में यह भी विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न अनावेदक क्र0 1 एवं उसके साक्षियों के बयान में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रमाणित है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत

कार्यवाही की गई है । आराजी खसरा क्र0 111 अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है, जिसमें अपीलार्थी का मौके से कब्जा दखल है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा काश्त की जाती है । उक्त तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर वैधानिक भूल की है । अतः ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का आधार मात्र विचारण न्यायालय द्वारा ली गई साक्षियों की साक्ष्य में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि विचारण न्यायालय की ओदश पत्रिका दिनांक 24.05.01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी रामसुमिरन रजक, मनमोहन साहू का परीक्षण कराया गया तथा सभी साक्षियों ने आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर भी किये है । इससे यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायालय ने साक्षियों की साक्ष्य नहीं ली या संदिग्ध है तथा इसी दिनांक को आवेदक व उनके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अतः आवेदक का यह तर्क कि उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उचित नहीं है । जब वे पूर्व की पेशियों में उपस्थित होते थे तो उन्हें नियत दिनांक की

पेशी का ज्ञान था । विचारण न्यायालय ने विधिवत जांच कर तथा प्रतिवेदन लेकर कर्यवाही की है जिसमें विवादित आराजियों पर अनावेदिका का कब्जा पाया गया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया है वह उचित है । मैं अपर आयुक्त के आदेश से सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2002 विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जावे तथा अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य